उत्तर प्रदेश शासन

वन अनुभाग-2

संख्या- 14/506/14-2-2014-4 (3) /2014

लखनऊ, दिनांक 29 सितम्बर 2014

अधिसूचना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या -16, सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

2- उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्यपाल अग्रतर सिटी मजिस्ट्रेट, पीलीभीत जनपद पीलीभीत को उक्त वन भूमि के संबंध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	**जिला**	**तहसील**	**परगना**	**ग्राम**	**खसरा प्लाट**	**क्षेत्रफल हे0**	**सीमा वर्णन**
1	पीलीभीत	पूरनपुर	पूरनपुर	ग्रांट नं0 21 उर्फ ढक्का चांट	93 ज	0.8290	उत्तर-वन भूमि पूरब- खसरा सं0 92 वन भूमि पश्चिम-खसरा सं0 94 वन भूमि दक्षिण-खसरा सं0 88 वन भूमि
					98	0.8130	उत्तर-खसरा सं0-99 की सीमा पूरब-खसरा सं0-94 वन भूमि पश्चिम-खसरा सं0-97 वन भूमि दक्षिण-खसरा सं0- 96 वन भूमि
				योग	**2 किता**	1.6420	

आज्ञा से,

(वी0एन0गर्ग)

प्रमुख सचिव

shasanadesh.up.nic.in/go/mra